राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(A)(2)आर.बी./2023/2748 दिनांक : 19 मई, 2023

—: कार्यवाही विवरण :—

राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण की समन्वय समिति की बैठक माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 08.05.2023 को प्रातः 11:00 बजे राजभवन, जयपुर में आयोजित हुई, जिसमें माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, श्री बी. डी. कल्ला, कौशल, खेल एवं युवा मामलात राज्य मंत्री, श्री अशोक चांदना एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, श्री राजेन्द्र सिंह यादव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालयों से संबंधित प्रशासनिक विभागों के अधिकारीगण तथा समस्त कुलपतिगण उक्त बैठक में उपस्थित रहे।

1. बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची **संलग्नक—1** पर संलग्न है।

2. सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, राज्यपाल ने बैठक में सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति उपरान्त बैठक की रूपरेखा से सभी प्रतिभागियों को अवगत कराते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को प्रारम्भिक उद्बोधन हेतु निवेदन किया।

3. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज की इस बैठक को बुलाने का उद्देश्य यही है कि राज्य के समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उन्नयन और परस्पर समान नीतियों को लागू करने पर विषद् रूप में एक साथ मिल—बैठकर चर्चा की जा सके। पिछले कुछ समय के दौरान कोविड की रही चुनौतियों के बावजूद प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षण, शोध एवं प्रसार के क्षेत्र में महती कार्य हुए हैं। किसी भी राज्य की उन्नति का आधार वहां प्रदान की जाने वाली उच्च शिक्षा का स्तर ही होता है। उच्च शिक्षा में जितनी अधिक गुणवत्ता होगी, मानव संसाधन भी उतने ही बेहतर रूप में उपलब्ध हो सकता हैं। विगत वर्षों में जिस गति से देश में नवीन उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई है, उससे उच्च शिक्षा प्राप्ति का अनुपात भी देश में तेजी से बढ़ा है। राजस्थान में भी उच्च शिक्षा का प्रसार तेजी से हुआ है। प्रदेश में नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना इस उद्देश्य से ही निरंतर की गई है कि विषय विशेषज्ञता में और सभी क्षेत्रों में समान रूप से यहां के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का लाभ मिले। हमारे विश्वविद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत हो। वहां विद्यार्थी को ऐसा वातावरण मिले कि वह अपनी रूचि के अनुसार विषय विशेष का पाठ्यक्रम के जरिए ही अध्ययन नहीं करें बल्कि शिक्षकों के अनुभवों

से भी व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करे। विश्वविद्यालय ऐसे नवीन पाठ्यक्रम अपने यहां प्रारम्भ करें, जिससे रोजगारोन्मुखी शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार हो। व्यावसायिक शिक्षा के जरिए विश्वविद्यालयों में कैसे 'आत्मनिर्भर भारत' की सोच को सही मायने में साकार किया जा सके, इस पर सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने यहां शोध से जुड़े कार्यों और नवाचारों से जुड़ा केन्द्र स्थापित करें। इस संबंध में सभी विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि शोध की ऐसी मौलिक संस्कृति हमारे यहां विकसित हो, जिससे अनुभव, अध्ययन से मौलिक स्थापनाओं की ओर विद्यार्थी प्रवृत्त हो। विश्वविद्यालयों में अण्डरग्रेजूएट प्रोग्राम के अंतर्गत 'करिकुलम एण्ड क्रेडिट फ्रेमवर्क' पर भी कार्य किया जाए।

4. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के उद्बोधन पश्चात् उनकी अनुमति से प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा प्रारम्भ की गई।

5. प्रो. ए.के. गहलोत द्वारा विश्वविद्यालयों में Issues with HEIs vis-à-vis NEP 2020 महत्वपूर्ण यूजीसी नियम, दिशानिर्देश, सलाह आदि, AIU - उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से एस–डी–जी को साकार करना, SUMS, IT infrastructure, applications and Website Security Audit किस प्रकार से किया जाए, के संबंध में PPT का प्रस्तुतिकरण किया गया **(संलग्नक–2)**।

6. बैठक में समस्त 23 एजेण्डा बिन्दुओं पर विचार–विमर्श एवं तद्नुसार लिये गये निर्णय की सूची **संलग्नक–3** पर संलग्न है।

7. बैठक में समस्त 23 एजेण्डा बिन्दुओं पर विचार–विमर्श के उपरान्त माननीय मंत्रीगण एवं प्रशासनिक विभागों के अधिकारीगण द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया है :–

   - **माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री** – राजकीय महाविद्यालयों को विकल्प के आधार पर नवीन विश्वविद्यालयों का संघटक कॉलेज बनाए जाने में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों दोनों का ही हित निहित है। इससे विश्वविद्यालय आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनेंगे और विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय वाणिज्यिक एवं नवाचार आधारित कृषि को बढ़ावा देकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। पाठयक्रम अद्यतन करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में Academic Council है। पाठयक्रम अद्यतन में UPSC के कोर्स भी सम्मिलित किये जाने चाहिए। जिससे All India Competition में राजस्थान के विद्यार्थी Compete कर सके। विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसे विषय चुने जाने चाहिए जो राजस्थान से बाहर एवं विदेशों में पढाये जाते हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा E-Library System के तहत ऐसा ऐप बनाया जाना चाहिए जिसमें हर विषय का Lecture record करके रखा जा सके। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को Self Finance Scheme जिस पर जिस विश्वविद्यालय को कोई आर्थिक सहायता अथवा

पद राज्य सरकार से नहीं चाहिए, तो वह गतिविधि/कार्य शुरू करने की उस विश्वविद्यालय को छूट दी जानी चाहिए। Academic Calender में Sports Tournament का भी समावेश किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा Youth & Cultural Festival का आयोजन किया जाए। साथ ही NCC, NSS, Scout and Guide को भी प्रोत्साहित करें। विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक शनिवार को Extra Curricular Activity Day के रूप में नियत कर सकते है। जो विश्वविद्यालय अपने संसाधनों से रिक्त पदों को भर सकते है। राज्य सरकार द्वारा उन्हें रिक्त पद भरने की स्वीकृति दी जाए।

- **माननीय कौशल, खेल एवं युवा मामलात राज्य मंत्री** – खेलों को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। खेलों के माध्यम से युवा सजग एवं जिम्मेदार नागरिक के रूप में उभरते हैं । उन्होंने कहा कि कौशल विभाग के अंतर्गत विशेष पहल करते हुए 50 प्रतिशत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाई गई हैं, जिससे इनमें बिजली खर्च घटकर एक तिहाई रह गया है। निजी विश्वविद्यालयों में लाखों की फीस है जो गांव के पिछडे वर्ग को देखते हुए सरकारी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लागू नहीं की जा सकती। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार राजकीय विश्वविद्यालय भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार अपने कोर्स तैयार करें।

- **माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री** – विश्वविद्यालयों के लिए समान अम्ब्रेला एक्ट का ड्राफ्ट विधि विभाग को भिजवाया गया है, जिसमें कुलसचिव, वित्त नियंत्रक के पदों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तर्ज पर भरने एवं विश्वविद्यालयों में भर्तियों के लिए अलग आयोग बनाने का प्रस्ताव है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में खेलों के प्रशिक्षण और विकास के लिए निजी जन सहभागिता से कार्य किए जाने का सुझाव भी दिया। राज्य सरकार NEP-2020 लागू करने के लिए कटिबद्ध है। राजकीय विश्वविद्यालयों द्वारा अलग–अलग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रशिक्षकों (कोच) को बुलाया जाकर विद्यार्थियों को ट्रेनिंग कराई जाये। राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय उनके Fixed Deposit पर प्राप्त ब्याज पर लगने वाले आयकर के संबंध में CA से मिलकर योजना बनाये। साथ ही Income Tax Department से जो नोटिस प्राप्त हो रहे है। उसके संबंध में एक आयकर सलाहकार को बुलाकर परामर्श ले। राजस्थान राज्य विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और ई–गवर्नेंस के साथ बेहतर डाटा प्रबन्धन के लिए सभी कुलपतियों को राजभवन द्वारा उनके साथ साझा किये गये दर अनुबंध के अनुसार SUMS को तुरंत लागू करने हेतु निर्देशित किया गया ताकि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और ई–गवर्नेंस के साथ बेहतर डाटा प्रबंधन को राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया जा सके।

- **मुख्य सचिव महोदया** – उच्च शिक्षा में क्रेडिट सिस्टम एवं स्नातक पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली इसी वर्ष से लागू किये जाने के लिए समन्वित ढंग से त्वरित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

- **प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल** – राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में कुलसचिव की नियुक्ति के संबंध में RPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली राजस्थान प्रशासनिक सेवा की भर्ती प्रक्रिया में विश्वविद्यालय सेवा के अंतर्गत विश्वविद्यालय के कुलसचिव का संवर्ग सृजन कर सम्मिलित किया जाये। राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु एक आयोग बनाया जाए।

- **प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल** – राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में जो कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक लगाये जाते हैं। वे विश्वविद्यालयों के अधिनियम में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर एक निश्चित कालावधि के लिए लगाये जाये जिससे कि वे पूरे मनोयोग से कार्यो का संपादन कर सके। अतः राज्य सरकार द्वारा एक प्रावधान किया जाए कि जो कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालयों में जाने के इच्छुक हो उन्ही का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन विश्वविद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर किया जाये।

- **प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग** – राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय एल्यूमिनाई हेतु राजस्थान फाउण्डेशन से सहायता ले सकते है। साथ ही 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम की तर्ज पर उच्च शिक्षा का भी राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जायें, जिसमें भामाशाहों को आमंत्रित कर उच्च शिक्षा के लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जा सके। समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में विभिन्न अवकाश प्रकरण के संबंध में एकरूपता लाई जाये। कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक के चयन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा Umbrella Act में प्रावधान किया हुआ है। जो वर्तमान में विधि विभाग में प्रक्रियाधीन है। सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के भवन संबंधी प्रकरण में मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में एक बैठक की जानी चाहिए।

8. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समापन संबोधन में निम्न निर्देश/घोषणा की गई :–

- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा के विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों की एकरूपता एवं स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली विश्वविद्यालयों द्वारा लागू की जाए।

- समस्त, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय वेबसाईट पर विद्यार्थियों के डाटा एवं अन्य जानकारी लीक होने के खतरे को देखते हुए भारत सरकार के परिपत्र संख्या AA-14/28/2021-CSD दिनांक 05.01.2022 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय वेबसाईट की सिक्योरिटी ऑडिट आवश्यक रूप से करवाये।
- विश्वविद्यालयों में कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक के रिक्त पदों पर राज्य सरकार के स्तर पर नीति निर्धारित कर समय सीमा निश्चित करते हुए शीघ्र पदस्थापन किये जाये।
- राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर रिक्तियों को भरे जाने की कार्यवाही त्वरित की जाये।
- राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण की परिलब्धियों, सेवा एवं अवकाश संबंधी शर्तों के बारे में स्पष्टता लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया जाये।
- समस्त, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय के कुलपतियों द्वारा पाठयक्रम शीघ्र पूर्ण करते हुए परीक्षाएं अविलम्ब कराई जाये।
- समस्त, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, रोजगारोन्मुखी कौशल विकास से जुडे नवीन पाठयक्रमों के प्रारम्भ करने, शिक्षा में नवाचार अपनाते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए निरन्तर कार्यक्रम आयोजित करें।
- जिन राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में निर्माण एजेन्सी RSRDC के द्वारा संविधान पार्क के कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हो रहा है उसके लिए RSRDC से बात कर गतिरोध दूर करें, जिससे निर्माण कार्य समय पर पूर्ण हो सके।
- सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, सौर ऊर्जा प्रणाली को अपनाकर विद्युत खर्च कम करने की दिशा में कार्य करे एवं विश्वविद्यालय में जल संरक्षण RWHS & Dual Piping System विकसित करे।
- महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा गोद लिये मदार गांव में किये गये कार्य/नवाचारों की तरह अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा भी अपने गोद लिये गांवों में कार्य किये जावें।

9. बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

(सुबीर कुमार)
प्रमुख सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक : एफ.1(A)(2)आर.बी./2023/2749 दिनांक : 19 मई, 2023

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, कृषि एवं पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कौशल एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. प्रो. ए. के. गहलोत, सदस्य, राज्यपाल सलाहकार बोर्ड, राजभवन, जयपुर।

प्रमुख सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक : एफ.1(A)(2)आर.बी./2023/2750 दिनांक : 19 मई, 2023

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं कार्यवाही विवरण का पालना प्रतिवेदन आवश्यक रूप से भिजवाये जाने हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. शासन सचिव, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. शासन सचिव, युवा मामलात एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. आयुक्त, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. कुलपतिगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।

प्रमुख सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक : एफ.1(A)(2)आर.बी./2023/2751 दिनांक : 19 मई, 2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. निदेशक (जनजाति कल्याण) एवं संयुक्त सचिव, राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी (उच्च शिक्षा), राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी (एन.डी.), उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, (IT), राजभवन जयपुर को राजभवन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

संलग्नक–3

एजेण्डा बिन्दु	एजेण्डा विषय	चर्चा के बिन्दु	निर्णय	विभाग/विश्वविद्यालय जिससे क्रियान्विति अपेक्षित है।
1.	गत कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 27.12.2021 के कार्यवाही विवरण की पालना	• प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा अवगत कराया गया कि कुलपति समन्वय समिति की गत बैठक दिनांक 27.12.2021 को आयोजित की गई थी, जिसका कार्यवाही विवरण दिनांक 04.01.2022 को जारी किया गया। चूंकि कार्यवाही विवरण के संबंध में कोई आपत्ति किसी प्रतिभागी से प्राप्त नहीं हुई। अतः कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति जताई गई है।	प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार कर तद्नुसार दिनांक 04.01.2022 को जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। साथ ही जिन विश्वविद्यालयों/विभाग द्वारा पालना नहीं की गई है, उनके द्वारा पालना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	–
2.	प्रदेश के राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण को उत्तर प्रदेश में प्रदत्त किये जा रहे अवकाशों व अवकाशों के पुनर्भरण नियमों को लागू किया जाना।	• प्रमुख सचिव राज्यपाल महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण को देय अवकाश के संबंध में कोई कॉमन सर्कुलर नहीं है, जिस कारण कुलपतिगण के अवकाश जारी करने में काफी परेशानी आती है। • कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा कुलपतिगण	उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार एवं अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा इस संबंध में कुलपतिगण की परिलब्धियों, सेवा एवं अवकाश संबंधी शर्तों के बारे में स्पष्टता लाने के लिए यथाशीघ्र निर्णय कर सर्कुलर जारी करें।	उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार

		को दिये जाने वाले अवकाश में एकेडमिक लीव का प्रावधान रखने हेतु अनुरोध किया गया। ● प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय में इस संबंध में प्रावधान है। अन्य विश्वविद्यालयों में इस संबंध में वित्त विभाग से अनुमोदन करवाकर सर्कुलर जारी करवायेंगे।		
3.	विश्वविद्यालय परिसर में संविधान पार्क के निर्माण के संबंध में प्रगति की अद्यतन स्थिति	● कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि संविधान पार्क के निर्माण हेतु आर.एस.आर.डी.सी. को विश्वविद्यालय द्वारा नियत समयावधि में संविधान पार्क तैयार किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये जाये। ● प्रमुख सचिव राज्यपाल महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा किया जा रहा कार्य जिन राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में अधूरा है, के संबंध में एक बैठक आयोजित कर उन्हे समयबद्ध काम पूर्ण करने हेतु आर.एस.आर.डी.सी. को निर्देश दिया जाये।	1. जिन राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा संविधान पार्क निर्माण का कार्य सम्पादित किया जा रहा है, के संबंध में समयबद्ध कार्य पूर्ण करने हेतु आर.एस.आर.डी.सी. के साथ संबंधित कुलपतिगण की बैठक आयोजित की जाये। 2. शेष राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा संविधान पार्क का निर्माण अतिशीघ्र किया जाये।	1. राजभवन, जयपुर 2. समस्त, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान

4.	राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों का अकादमिक एवं अवकाश कैलेण्डर जिस सत्र के लिए जारी किया जाना है उससे एक माह पूर्व ही जारी किया जाना	• कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालयों का एकेडमिक/अवकाश कलैण्डर 15 जून तक जारी कर दिये जावें। • प्रमुख सचिव राज्यपाल महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक विभागों द्वारा एकेडमिक/अवकाश कलैण्डर विलम्ब से वर्ष के अंत तक जारी किये जाते है, जिससे पूरा सेशन बिना कलैण्डर के निकल जाता है तथा अवकाश के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं होता है। अतः प्रशासनिक विभागों द्वारा एकेडमिक/अवकाश कलैण्डर प्रतिवर्ष 15 जून तक जारी कर दिये जाये। साथ ही एकेडमिक कलैण्डर सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर जारी करने बाबत भी कहा गया। • माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री द्वारा Academic Calendar में Sports Tournament का भी प्रावधान/उल्लेख किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	1. राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में एकेडमिक एवं अवकाश कलैण्डर सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर एवं Sports Tournament आयोजित करने की तिथि के साथ प्रतिवर्ष 15 जून तक जारी कर दिये जायें। 2. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को इस वर्ष Inter University Sports Tournament आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।	समस्त प्रशासनिक विभाग एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

5.	NEP 2020 को लागू करने के संबंध में कार्यवाहियां :– i. विश्वविद्यालयों द्वारा नए चालू किए गए रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम ii. विश्वविद्यालयों द्वारा नवाचारों की जानकारी iii. विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थी हित में किये गये कार्यों की जानकारी iv. यूनिफॉर्म कॉमन सिलेबस लागू करने की दिशा में प्रगति v. सेमेस्टर सिस्टम को लागू करने की स्थिति vi. शोध कार्यों में नवाचार एवं गुणवत्ता लागू करने की स्थिति vii. लाइब्रेरी में E-resources की स्थिति	• कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में Public Health & Mass Communication Course चालू किया गया है। Mass Communication के छात्रों को Artificial Intelligence के माध्यम से बताया जा रहा है। • कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में प्रदेश का प्रथम Drone Training Center स्थापित किया गया है। जहां 1000 Pilot को Training दी जायेगी। • कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि 4 साल के UG Programme में सेमेस्टर सिस्टम की योजना तैयार की गई है। जो Job Oriented है एवं विद्यार्थियों के लिए नवाचार भी किए है। • कुलपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यार्थियों के लिए Cyber Law & Forensic के कोर्स शुरू किए है। विश्वविद्यालय द्वारा	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को इस सत्र सेमेस्टर सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू किया जाना है। साथ ही इस संबंध में विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये नवाचारों को अन्य विश्वविद्यालयों के साथ साझा किया जाये। समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय इस संबंध में कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से राजभवन को अवगत करावें।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

		Community Radio की शुरूआत की गई है। इससे 30 किलोमीटर के क्षेत्र में विद्यार्थियों में उपयोगी जानकारियों का प्रसारण होगा। • कुलपति, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में प्रत्येक महीने में 3 दिन का कैम्प लगाते है और 24 घण्टे में विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए या तो उन्हें जवाब देकर संतुष्ट किया जाता है या उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। • कुलपति महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गई है एवं विश्वविद्यालय द्वारा 182 कौशल विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे है। • कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि ब्रिटिश हाई कमीशन के सहयोग से देश के पहले डाईबिटिक केन्द्र को स्थापित करने हेतु कॉलेबरेशन किया गया है। जिसका उद्घाटन		

		ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा किया जायेगा। विश्वविद्यालय को देश का सबसे बडा Convention Center खोलने की स्वीकृति मिली है। • प्रमुख सचिव राज्यपाल महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि NEP-2020 को इसी सत्र से लागू करना ही है। सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय समस्त किताबों को अपलोड कर E-Library में समावेश करावें। • प्रथम सेमेस्टर में विद्यार्थियों को Vocational Training दी जाए। साथ ही यदि किसी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय में कोई नवाचार किया जाता है तो वह अन्य विश्वविद्यालयों के साथ इसे साझा करें।		
6.	SUMS के लागू करने में की गयी प्रगति की अद्यतन स्थिति	• कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा प्रबंध मण्डल में SUMS को लागू करने के संबंध में प्रस्ताव रखा गया जिसे प्रबंध मण्डल के सदस्यों द्वारा DoIT से निःशुल्क करवाये जाने हेतु कहा गया।	माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा सभी कुलपतियों को राजभवन द्वारा उनके साथ साझा किए गये दर अनुबंध के अनुसार SUMS को तुरन्त लागू करने का निर्देश दिया ताकि NEP-2020 के क्रियान्वयन और E-Governance के साथ बेहतर डेटा प्रबंधन को समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया जा	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

		• कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा SUMS का क्रियान्वयन कर दिया गया है एवं SUMS लागू करने के बाद कार्य काफी सुविधाजनक एवं सुगम हो गया है एवं इसमें लगभग 6 करोड रू. का व्यय हुआ है। • प्रो. ए.के. गहलोत द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्थान के समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में NEP-2020 लागू किये जाने हेतु एक Unified System होना जरूरी है। इसलिए समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को SUMS लागू किया जाना है। • माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया कि राजस्थान में NEP-2020 लागू करने में SUMS मील का पत्थर साबित होगा। अतः समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करें।	सके।	
7.	विभिन्न विश्वविद्यालयों में विलम्ब से चल रहे पाठ्यक्रमों व लम्बित	• समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय विलम्ब से चल रहे पाठ्यक्रमों व लम्बित परीक्षाओं को अविलम्ब पूर्ण करवाये।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय इस संबंध में कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से राजभवन को	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

	परीक्षाओं को अविलम्ब पूर्ण करवाया जाना।		अवगत करावें।	
8.	विश्वविद्यालयों में हुई अनियमितताओं के दोषी कार्मिकों पर त्वरित कार्यवाही किये जाने बाबत् निर्देश।	• प्रमुख सचिव राज्यपाल महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालयों में किसी कार्मिक द्वारा कोई अनियमितता की जाती है तो उस पर कोई कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जाती है। इससे विश्वविद्यालय का माहौल खराब होता है तथा ऐसा कृत्य करने का होंसला बढता है।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय इस संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करें। यदि विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यवाही करने में कोई परेशानी आती है तो ऐसे प्रकरणों को राजभवन को भेजे।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय
9.	राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर का फण्ड स्थानान्तरण का प्रकरण स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर व महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर से।	• कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा अवगत कराया कि :– • स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से ईपीएफ एवं यूपीएफ के मिलाकर कुल राशि 29,15,18,309/– ब्याज सहित बकाया है। • महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर से पेंशन निधि (यूपीएफ) राशि 1,79,64,887/– दिसम्बर, 2022 तक बकाया है।	जिन राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की राशि परस्पर बकाया है। वह विश्वविद्यालय अपने–अपने वित्त नियंत्रकों के साथ शासन सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक कर इसका निस्तारण करें।	1. वित्त विभाग। 2. समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

10.	पेंशन निधि हेतु गठित समिति की अद्यतन स्थिति व आवश्यक निर्देश।	• शासन सचिव, वित्त विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय Autonomous Body है। अतः पेंशन विश्वविद्यालय द्वारा ही दी जानी है। • कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्यागिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा UIT को जमीन हस्तांतरित की गई है। साथ ही उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी ट्रेजरी के माध्यम से पेंशन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय की जमीन बेचकर पेंशन देना उचित नहीं है। • कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पेंशन राशि भुगतान करने के संबंध में राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने तथा प्रतिवर्ष फीस बढोतरी में भी स्वतंत्रता देनी चाहिए। • कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष 10	1. समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय अपने स्तर पर Resource Generate करें ताकि विश्वविद्यालयों की आय सृजित हो सके एवं पेंशन का भुगतान किया जा सके। 2. वित्त विभाग, राजस्थान सरकार इस संबंध में गठित की गई समिति की रिपोर्ट शीघ्र जारी करने की कार्यवाही करें।	1. वित्त विभाग। 2. समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

		प्रतिशत फीस बढाने का निर्णय लिया हुआ है। पहले भरतपुर, अलवर, सीकर के कॉलेज इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे जो अब नहीं है। अतः विश्वविद्यालय पर पेंशन का भार भी लगभग 140 करोड़ रूपये है। • कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट का कोई Outcome नहीं है। साथ ही उनके द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध जमीन पर विश्वविद्यालय M.Sc. and B.Sc. Student से रिसर्च करवाते है एवं जमीन पर उगने वाली फसल तथा विकसित बीज किसानों के हित को देखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा MSP पर बेचे जाते है। • कुलपति, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा अवगत कराया गया कि यह मुद्दा सामाजिक सुरक्षा से जुडा मुद्दा है एवं विश्वविद्यालयों के पास Fund Manager भी नहीं होते है। अतः पेंशन का भुगतान राज्य सरकार करें।		

		• माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया कि प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों को Land Grant Concept के आधार पर बनाया गया है। विश्वविद्यालयों को अपनी भूमि पर विभिन्न पैदावार करनी चाहिए। Commercial Corps उगानी चाहिए। जिससे विश्वविद्यालयों की आय सृजित हो। साथ ही विश्वविद्यालयों को अपने खर्चों में किफायत करनी चाहिए। • प्रमुख सचिव राज्यपाल महोदय द्वारा समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को कहा गया कि विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालयों की तरह Resource Generate करें।		
11.	विश्वविद्यालयों को CGST से मुक्त करवाने हेतु पुनः राज्य सरकार के स्तर से प्रस्ताव केन्द्रीय CGST काउंसिल को भिजवाये जाने बाबत्।	• कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा अवगत कराया गया कि Income Tax Department द्वारा नोटिस दिया जा रहा है एवं कॉलेजों के Affiliation पर GST लागू किया है। • कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा अवगत कराया गया कि Income Tax Department द्वारा 2017 से Income Tax मांगा जा रहा है।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय 01 अप्रेल से Afilication पर GST लेना प्रारम्भ करें। साथ ही 2017 से अब तक मांगी जा रही GST के निस्तारण के संबंध में शासन सचिव, वित्त विभाग समस्त कुलपतिगण के साथ एक बैठक अयोजित करें।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय एवं वित्त विभाग

12.	एक समान विश्वविद्यालयों में CAS हेतु समान प्रक्रिया अपनाने हेतु कार्ययोजना व प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना।	• कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि विभाग द्वारा उन्हें UGC Regulation 2010 लागू करने बाबत् कहा गया है। • प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय को यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 राज्य सरकार द्वारा लागू किये जाने के उपरान्त भी विश्वविद्यालय द्वारा लागू नहीं किये जाने पर आपत्ति जताते हुए तुरन्त लागू करने के निर्देश प्रदान किये गये। • कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अवगत किया गया कि सिंडीकेट की बैठक बुलाकर यूजीसी रेगुलेशन 2018 विश्वविद्यालय में लागू करेंगे।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में UGC Regulation 2018 adopt किया जाना अनिवार्य है एवं समय–समय पर UGC द्वारा जारी Regulations को भी adopt किये जाने संबंधी कार्यवाही करें।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय
13.	वरिष्ठतम आचार्य को विभागाध्यक्ष व डीन बनाये जाने हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश	• कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष व डीन ऑर्डिनेन्स के अनुसार बनाये जाते है एवं विश्वविद्यालय में Academic Council में वोट के आधार पर विभागाध्यक्ष एवं डीन बनाया जाता है।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा वरिष्ठतम आचार्य को ही विभागाध्यक्ष एवं डीन बनाया जाये।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

14.	गोद लिए गये गांवों में विकास की अद्यतन स्थिति तथा नये गांव गोद लिए जाने के मानदंड, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा दी जाने वाली SOP की स्थिति, स्वयं सहायता समूहों के गठन की स्थिति	• प्रमुख सचिव राज्यपाल महोदय द्वारा समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्यागिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा गोद लिये गये गांव 'मदार' का विजिट करने हेतु कहा गया एवं उस गांव में किये जा रहे नवाचारों को विश्वविद्यालयों द्वारा गोद लिये गये गांव में भी किये जाने हेतु कहा गया। • कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा मदार गांव में कई नवाचार किये गये है। जैसे – किसानों की फसल पर ड्रोन से स्प्रे करना एवं ड्रोन की उँचाई निर्धारित करना, स्कूल को फर्नीचर, कम्प्यूटर टेबलेट दिलाया गया, खेल मैदान तैयार किये गये, स्वयं सहायता समूह को दुग्ध उत्पादन, सब्जी उत्पादन, सौलर कुकर की ट्रेनिंग दी गई, सौलर ट्री तैयार कराया गया। धान की पराली से बायोचार बना रहे है।	समस्त विश्वविद्यालय इस संबंध में कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से राजभवन को अवगत करावे।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय
15.	रेड क्रॉस से विश्वविद्यालयों द्वारा कॉलेबोरेशन	• प्रमुख सचिव राज्यपाल महोदय द्वारा रेड क्रॉस के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के Teaching Staff को भी शामिल करने	समस्त विश्वविद्यालय इस संबंध में निर्देशानुसार कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से राजभवन को अवगत करावे।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

		हेतु निर्देश दिये गये।		
16.	विश्वविद्यालयों एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा राजभवन सचिवालय से जारी निर्देशों की अक्षरशः पालना न करना व समय पर राजभवन सचिवालय द्वारा जारी पत्रों का प्रत्युत्तर प्रेषित नहीं करना।	• कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके स्टेटयूट्स तीन महीने से राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। • कुलपति, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 28.03.2023 को स्टेटयूटस अनुमोदित कर विश्वविद्यालय भिजवाये गये थे। उक्त स्टेटयूटस पर राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। उक्त कमेटी को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावें। • कुलपति, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके स्टेटूयटस 1 वर्ष से राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। • प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समस्त कुलपतियों को कहा गया कि इस संबंध में समस्त विश्वविद्यालय संबंधित अधिकारी को कॉर्डिनेशन हेतु संबंधित विभाग में भेजे। ताकि लंबित	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय अपने लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को कॉर्डिनेशन हेतु संबंधित विभाग में भिजवाकर प्रकरणों का निस्तारण करवाये।	1. समस्त प्रशासनिक विभाग, राजस्थान सरकार। 2. समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

		प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके।		
17.	Curriculum and credit Framework for Undergraduate Programmes.	• प्रमुख सचिव राज्यपाल महोदय द्वारा कुलपतिगण, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को यू.जी.सी. द्वारा जारी Curriculum and credit Framework का अध्ययन कर उसे विश्वविद्यालय में क्रियान्वित करने हेतु कहा गया।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा क्रियान्विति किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान
18.	Teaching learning process and Text Books in Mother tongue in the Higher Education Institutions.	प्रमुख सचिव राज्यपाल महोदय द्वारा कुलपतिगण, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को यू.जी.सी. द्वारा जारी Teaching learning process and Text Books in Mother tongue in the Higher Education Institutions का अध्ययन कर उसे विश्वविद्यालय में क्रियान्वित करने हेतु कहा गया।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा क्रियान्वयन किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान
19.	प्रदेश के समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन्स एवं वेबसाईट्स की सिक्योरिटी ऑडिट	• प्रमुख सचिव राज्यपाल महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि आजकल डिजिटाईजेशन का युग है, जिसमें डाटा लीक होने का खतरा बना रहता है। विश्वविद्यालयों की वेबसाईट पर स्टूडेंटस के डाटा एवं अन्य जानकारी लीक होने के खतरे को देखते हुए विश्वविद्यालयों को वेबसाईट की सिक्योरिटी ऑडिट आवश्यक रूप से करवाया जाना चाहिये।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को भारत सरकार के परिपत्र AA-14/28/2021-CSD दिनांक 05.01.2022 के प्राविधानो के अनुरूप अर्ह एवं सक्षम संस्था के द्वारा अपनी–अपनी वेबसाईट एवं अन्य आईटी संबंधी सुविधाओं का सिक्योरिटी ऑडिट करवाया जाना अनिवार्य है।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।

20.	Installation of Video Conference Device as (IP Devices like CISCO VC Device installed by DoIT&C, GoR) to be installed in SFU's of Rajasthan along with IP Phone (for Office of Vice-Chancellor of SFU's) for smooth functioning of one to one or many to one online meetings.	• सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त कार्य आर.आई.एस.एल के माध्यम से करवाया जाता है एवं पूरा सेटअप स्थापित करने में लगभग 10 लाख रूपये का खर्चा आता है तथा आई.पी. फोन स्थापित करने में लगभग 50,000 रूपये का खर्चा आयेगा।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को इस संबंध में विश्वविद्यालय की आवश्यकता अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।	समस्त, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
21.	विभिन्न राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में गतिमान नियुक्ति प्रक्रिया जिसमें राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई गई है।	• कुलपति, राजूवास बीकानेर द्वारा अवगत करवाया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा रोस्टर गाईडलाईन्स अनुसार तैयार कर राज्य सरकार को भिजवा दिया गया था। परन्तु राज्य सरकार द्वारा साक्षात्कार के बाद शिकायत आने पर शिक्षकों की भर्ती रोक दी गयी थी। यदि विश्वविद्यालय में भर्ती नहीं होती है, तो वी.सी.आई. नई दिल्ली से अगले सत्र में विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।	जिन राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की भर्तियों पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई गई है, उन भर्तियों को भरे जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही की जावे।	समस्त प्रशासनिक विभाग, राजस्थान सरकार
22.	सतत् विकास लक्ष्यों को उच्च शिक्षण संस्थाओं के	• AIU organised five Zonal and one Annual VCs Meets during 2021-22 with the theme *“Realizing*	विश्वविद्यालय इस संबंध में कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से राजभवन को	समस्त, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय,

	माध्यम से सुनिश्चित किये जाने के संबंध में किये जाने वाले प्रयास।	*Sustainable Development Goals (SDGs) through Higher Education Institutions for Ensuring Equality and Sustainable Society.* • शिक्षा, अनुसंधान और Governance को 17 एसडीजी प्राप्त करने के लिए align करें • विश्वविद्यालय परिसर पूरी तरह से Sustainable, ऊर्जा और पानी में आत्मनिर्भर होंगे • सभी की सुरक्षा के साथ लैंगिक समानता सुनिश्चित करना • अनुसंधान और Innovation 'आत्मनिर्भर भारत', Circular Economy और 2035 तक Net Zero अनुपालन की ओर लक्षित • 17 एसडीजी को साकार करने में HEIs कैसे योगदान दे सकते हैं पर कार्य योजना तैयार करना और एस.डी.जी. अनुपालन रिपोर्ट • Green Practices और स्मार्ट परिसर प्रौद्योगिकियों को लागू करें • शिक्षा से समुदाय को अत्यधिक समृद्ध, शांतिपूर्ण, खुशहाल, स्वस्थ और टिकाऊ समाज में बदलने के लिए एक वाहक	अवगत करावे।	राजस्थान।

		बनाएं		
23.	राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व अशैक्षणिक रिक्त पदों के संबंध में चर्चा	• कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक संवर्ग के ऐसे पद स्वीकृत किये गये है, जो जिनके पाठ्यक्रम उनके विश्वविद्यालय में संचालित ही नहीं है एवं जो पाठ्यक्रम संचालित है, उनके पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये है। • प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय को पुनः प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने हेतु कहा गया एवं साथ ही अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों हेतु 282 पदों की भर्ती हेतु स्वीकृति जारी कर दी गयी है।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय अपने प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभागों को भिजवाये एवं प्रशासनिक विभाग इस संबंध में तत्काल कार्यवाही कर स्वीकृति जारी करें।	1. समस्त प्रशासनिक विभाग, राजस्थान सरकार। 2. समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।

Meeting of Vice-Chancellor's Co-ordination Committee on 08th May, 2023 at 11.00 A.M. at Raj Bhawan, Jaipur

List of Participants

S.N.	Name	Designation	Mobile No.	Signature
01.				
02.	Usha Sharma	C.S. Govt of Rajasthan	6130545656	[signature]
03.	Dr. Bulaki Das Kalla	Minister for Education	98292-55855	[signature]
04.	R. S. Yadav		7073187474	[signature]
05.	ASHOK CHANDNA	MoS	9772898988	[signature]
06.	B S Jelho,	Pr. S. HTE	9414320230	[signature]
07.	Krishna Kunal	Secy, AH, F, MA & Addl(Sc)(Edu.)	9521876464	[signature]
08.	PURNA CH. KISHAN	Secy Skills & DMR	8529847757	[signature]
09.	PUNAM	Secy Sanskrit Edu	9414049895	[signature]
10.	V. SARAVANA KUMAR.	SECRETARY HOME	9414152444	[signature]
11.	Naresh Thakral	Secy, Fin	9414070535	[signature]
12.	Prof Rajeev Jain	V C RU	9414113049	[signature]
13.	KL Shrivastava	VC JNVU	9414132094	[signature]
14.	I. V. TRIVEDI	VC, GGTU	9001997557	[signature]
15.	Kailash Sodani	VMOU Kota	8239269101	[signature]
16.	Anil Shukla	MDS Uni. Ajmer	9415180307	Anil Shukla
17.	Vinod Kumar Singh	MGSU Bikaner	9415711799	[signature]
18.	S. S. Pandey	RRBMU, Alwar	9399786864	S Pandey
19.	Prof. Ramesh Chandra	Maharaja Surajmal Brij University Bharatpur.	9810240532	[signature]
20.				

Meeting of Vice-Chancellor's Co-ordination Committee on 08th May, 2023 at 11.00 A.M. at Raj Bhawan, Jaipur

List of Participants

S.N.	Name	Designation	Mobile No.	Signature
21	Prof. Sudhi Rajiv	V.C., HJU & ALU	9414130868	Sudhi Rajiv
22.	Prof. Ajay Kumar Sharma	VC, MBM University Jodhpur	9928082027	Ajay Sharma
23.	B. R. Choudhary	VC, AU, Jodhpur	9414865717	
24.	Prof. Satish K. Garg	VC, RAJUVAS, Bikaner	9456054995	
25.	Prof Balraj Singh	V.C., SKNAU Jobner	9811271303	
26.	Dr. Abhay Kumar Vyas	V.C., AU, Kota	8302331577	
27.	Dr. Ajeet Kumar Karnatak	VC, MPUAT, Udaipur	9412120801	k
28.	Prof Ambarish Vidyarthi	VC, BTU, Bikaner	7902008999	[illegible] 08.05.2023
29.	Prof. S. K. Singh	VC, RTU, Kota	9891599903	
30.	प्रोफेसर डॉ. रामसेवक दुबे	कुलपति जगद्गुरु रा.सं.वि. जयपुर	9415234851	
31.	Prof. P. K. Prajapati	V.C DSRRU Jodhpur	9818575045	8/5
32.	Dr (Prof) Sudhir Bhandari	VC RUHS Jaipur	9829078844	8/5/23
33.	Bhagirath Singh	VC PDUSU Sikar	9829266377	
34.	Dr. Alok Tripathi	VC Police University	9414040411	
35.	Dr. Rajendra Kumar Vyas	Joint Director (Raj Bhawan)	9829102862	
36.	Harish Lalwani	F.A., Raj Bhawan	9828151932	
37.	Kavita Singh	JSG	9664257012	
38.	A. K. Gehlot	Member, GAB.	9414138211	
39.	Sanjay [illegible]	R.S.L., DoIT&C	9928733871	
40.	Sushil Parihar	Technical Director DoIT&C.	9414041064	

Meeting of Vice-Chancellor's Co-ordination Committee on 08th May, 2023 at 11.00 A.M. at Raj Bhawan, Jaipur

List of Participants

S.N.	Name	Designation	Mobile No.	Signature
41.	Dr. P Singh	Dean & faculty SKRAU Chairman	9950466311	[signature]
42.	[illegible]	OSD Ayush [illegible] JPR	9414370120	[signature]
43.	Jitendra Upadhyay	Secretary Ayurved Jaipur	94141-33533	[signature]
44.	Prahlad Meena	D.S. Agriculture	7425078957	[signature]
45.	Dr. Firoj Akhtar	JS, Higher Edu. (grp-4)	8875551146	[signature]
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				
56.				
57.				
58.				
59.				
60.				

इस प्रेजेंटेशन के महत्वपूर्ण बिंदु

- Issues with HEIs vis-à-vis NEP 2020
- महत्वपूर्ण यूजीसी नियम, दिशानिर्देश, सलाह आदि
- AIU - उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से एस.डी.जी. को साकार करना
- SUMS
- IT infrastructure, applications and Website Security Audit

कुलपति समन्वय समिति
बैठक दिनांक 08.05.2023

PROF. (DR.) COL. A. K. GAHLOT
MEMBER, GOVERNOR'S ADVISORY BOARD,
SPL. INVITEE, TASK FORCE ON HR. EDU.
FOUNDER VICE-CHANCELLOR,
RAJUVAS, BIKANER (RAJ)
CONTACT : 09414138211
AJEYGAHLOT@GMAIL.COM

Issues with HEIs vis-a-vis NEP 2020

Hr. Edu. Landscape

India

- Total 1,113 universities,
- 43,796 colleges, and
- nearly 11,300 stand-alone HEIs.

Rajasthan

In 1958 - 40 Colleges (24 Govt, 13 Aided, 3 Unaided)

Now

- Govt. 372; Pvt. 2033; BEd 1479
- Budget ~ Rs. 1300 Cr for 13 lac students, **<Rs. 1000.00 / std/month**
- Teachers - 8327; **Teacher-Student Ratio 1:156**
- 73 / 372 colleges NAAC accredited

उच्च शिक्षा की देश में स्थिति

- सबसे अधिक विश्वविद्यालय
  - राजस्थान (92),
  - उत्तर प्रदेश (84) और
  - गुजरात (83)
- औसतन सालाना 59 विश्वविद्यालय जोड़े गए
- महिलाओं के लिए 17 विश्वविद्यालय (14 राज्य सार्वजनिक) और 4,375 कॉलेज
- कॉलेज घनत्व - 31 प्रति लाख पात्र जनसंख्या (18-23 वर्ष) (3225 eligible/Coll)
- उच्चतम कॉलेज घनत्व वाले राज्य:
  - कर्नाटक (62),
  - तेलंगाना (53),
  - केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश (~50),
  - राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु (40)
- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात कॉलेजों की संख्या के मामले में शीर्ष 8 राज्य हैं।
- सबसे अधिक कॉलेजों वाले शीर्ष 8 जिले:
  - बैंगलोर शहरी (1058),
  - जयपुर (671),
  - हैदराबाद (488),
  - पुणे (466),
  - प्रयागराज (374),
  - रंगारेड्डी (345),
  - भोपाल (327) और
  - नागपुर (318)
- 43% विश्वविद्यालय और 61.4% कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

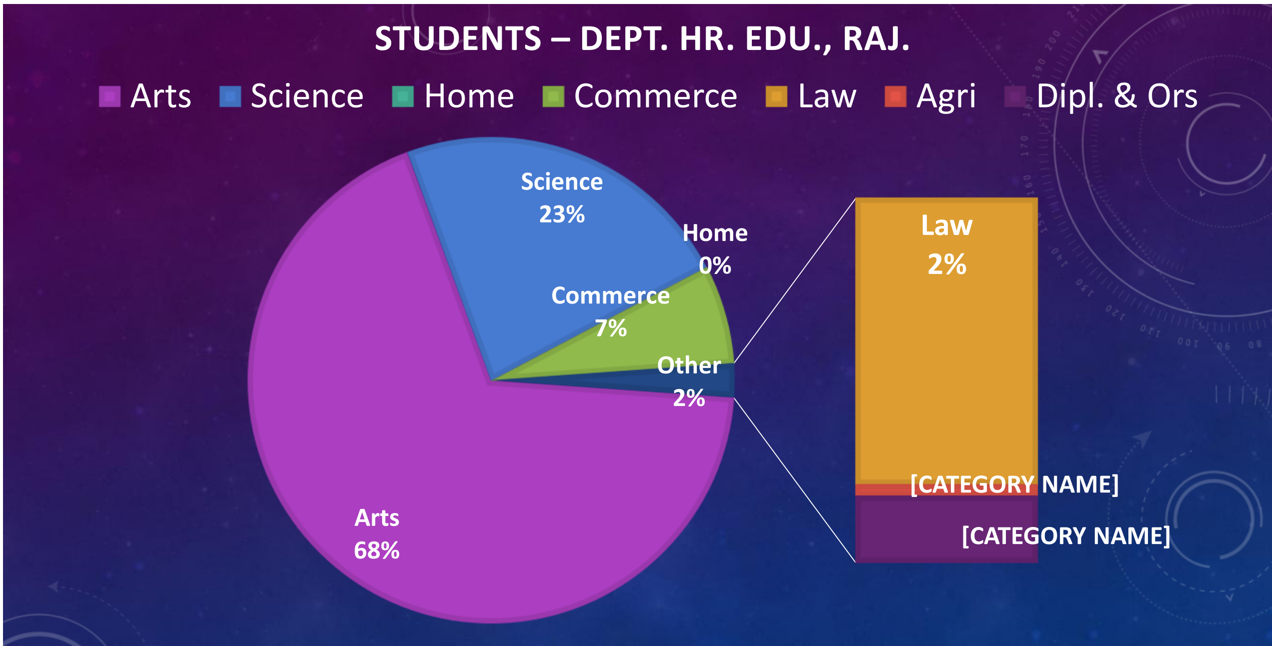

हमें छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए नए संकाय और नए विषयों की आवश्यकता है

चुनौतियाँ

गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे

- पेशेवर, कला और विज्ञान धाराओं के स्नातकों के पास विशाल ज्ञान और कौशल अंतराल है - और इसलिए रोजगार योग्य नहीं है।
- केवल एक अंश ही शोध विद्वान, नवप्रवर्तक या नौकरी निर्माता बन जाते हैं।

पर्याप्त एचईआई नहीं है

जीईआर - लगभग 27% (भारत), 24.1% (राजस्थान)

गुणवत्त शिक्षक - आईआईटी, आईआईएससी और आईआईएम सहित उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने शिक्षण पदों को भरने में बहुत मुश्किल होती है।

प्रतिभा को आकर्षित करना और बनाए रखना - उच्च शिक्षा संस्थानों के पास वित्तीय ताकत नहीं है-

कमजोर अनुसंधान आधार

खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा और सीटों की अनुपलब्धता के संदर्भ में – छात्र विदेश में पढ़ाई का विकल्प चुनते हैं। [विदेश में पढ़ रहे दस लाख छात्र]

उच्च शिक्षा संस्थानों को खुद को फिर से परिभाषित करना होगा

- पाठ्यक्रमों का व्यापक पोर्टफोलियो,
- पाठ्यक्रम का पुनर्गठन, और
- बहु-विषयक शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी क्षमताओं को अपग्रेड करें - एकल-स्ट्रीम संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों में बदलना होगा जिसमें विषयों का कोई कठिन पृथक्करण नहीं है।

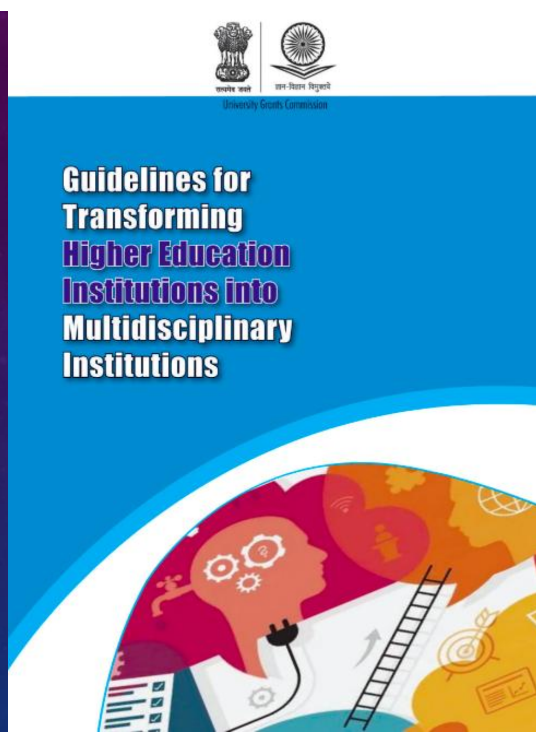

India's New NEP 2020 - A great enabler

- Multidisciplinary Choices –
  - Inevitable, as it is the only way HEIs can meet demands from different stakeholders
  - Choices that are at the intersection of arts and technology, management and engineering, law and medicine, and so on.
- Credits system
- Exit at multiple levels
- Vocational and Skill Courses
- Indigenous knowledge and culture (e.g., Indology)
- Weeding out of colleges that lack quality, infrastructure, and students.
- Entry of foreign HEIs
- Internationalization at home
- Cutting edge research
- E-governance (e.g., SUMS)
- Innovation, Incubation and Start-up centers
- Industry-academia linkage

महत्वपूर्ण

यूजीसी

नियम

दिशानिर्देश

सलाह आदि

Gazette / Notifications	Dated
Conferment of Autonomous Status upon Colleges and Measures for Maintenance of Standards in Autonomous Colleges Regulations, 2023	13.04.2023
Redressal of Grievances of Students Regulations, 2023.	12.04.2023
Report of National Credit Framework (NCrF)	10.04.2023
Awarding Ph.D. degree Certificates to candidates completed viva-voce in compliance to UGC Regulations.	08.02.2023
Extension of last date to receive comments/suggestions/feedback on the draft Setting up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India Regulations, 2023	02.02.2023
Two academic Programs simultaneously	10.01.2023
Accessibility guidelines and standards for Divyangs (12.07.2022)	26.12.2022
Registration of Ethics Committees for Biomedical and Health Research with Dept. of Health Research Biological Research Regulatory Approval Portal (BioRRAP)	26.12.2022

Gazette / Notifications	Dated
Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students regulations, 2015.	22.11.2022
Professor of Practice	14.11.2022
PhD Regulations 2022	10.11.2022
Community Radio Gazette Notification	21.10.2022
Compliance Officers for foreign students FRROs, FROs	10.10.2022
ABC implementation	22.09.2022
ODL degree equivalence	08.09.2022
Distance Education Board enrolment	23.08.2022
ABC Notification	28.07.2021
Moocs Swayam Gazette	25.03.2021

Guidelines	Dated
Draft Guidelines for Equitable Opportunity to SEDGs in HEIs	19.04.2023
Training/Orientation of Faculty on Indian Knowledge System (IKS)	13.04.2023
Promotion of Physical Fitness, Sports, Students' Health, Welfare, Psychological and Emotional Well-Being at HEIs of India.	13.04.2023
Incorporating Indian Knowledge System in Hr. Edu. Curricula by 30.04.23.	12.04.2023
Draft Guidelines to Empanel Local Artists/Artisans as Artist(s) in Residence in HEIs.	16.03.2023
Draft Guidelines for Introducing courses based on Indian Heritage and Culture.	16.03.2023
Enabling of Academic Institutes in Technical Textiles	21.02.2023
Draft Guidelines Curriculum Framework for Environment Education	08.02.2023

Guidelines	Dated
Optimal Utilization of Resources by Higher Educational Institutions (HEIs)	12.01.2023
National Suicide Prevention Strategy	06.01.2023
USR and Community Engagement	29.12.2022
CAS; AP-is guiding PhD, AssoP-Have awarded PhD	23.12.2022
CBCS-Curriculum and Credit Framework for UG	12.12.2022
Promoting Physical Fitness	12.12.2022
IT industry credits for industry led modules	30.09.2022
Multi-Disciplinary Institutions-transforming	02.09.2022

Advisories	Dated
G-20 University connect programme.	05.04.2023
Jal Shakti Abhiyan (JSA) : Catch the Rain 2023.	03.04.2023
Conducting visits/camps of students of Higher/ Technical education institutions in the 17 Pilot Vibrant Villages.	03.04.2023
Yuva Utsav-India@2047	31.03.2023
National Inter-college Crossword Expedition (NICE) 2023	29.03.2023
Inclusion of a chapter on sickle cell disorders in the chapter in curricula.	20.03.2023
Status of the children benefited from the creation of Supernumerary seats.	16.03.2023
Theme and Calendar of activities for international Year of Millets (IYoM)-2023	16.03.2023

Advisories	Dated
Graduate Income index (GII) Survey of ICAR-NAHEP	15.02.2023
New India Literacy Program	27.01.2023
NEP 2020 recommendation on Adult Education 'New India Literacy Programme (NILP)'	27.01.2023
Adoption of Tourist destinations by Universities.	25.01.2023
G-20 University Connect Programme.	23.01.2023
FIT India-Registration (06.05.2022)	28.11.2022
Cyber Security at UG and PG	17.10.2022
India Knowledge System (IKS) division initiative	19.09.2022

Miscellaneous	Dated
अभिरूचि की अभिव्यक्ति - संस्कृत विषय	13.03.2023
Eligibility criteria for promotion under CAS in terms of guiding Ph.D. Scholars	07.03.2023
Invitation of applications from eligible HEIs for recognition to offer programmes under open and Distance Learning (ODL) mode and /or Online mode from the academic year 2023-24, the academic session beginning from July-August, 2023 and onwards	01.03.2023
Result of Savitribai Jyotirao Phule Single Girl Child Fellowship 2022-23	08.02.2023
Clarifications regarding the eligibility criteria for CAS promotions of University Teachers from Academic Level 12 to Academic Level 13A and Academic Level 13A to Academic Level 14.	03.02.2023
MOOCs to be offered by UGC, CEC, IIM-B, NPTEL, and IGNOU on the SWAYAM Platform for January Semester 2023.	03.02.2023
Online Programs-DEB-Public-Notice	23-01-2023
SWAYAM Courses for January Semester 2023	19.01.2023

UGC (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023

To provide opportunities for redressal of certain grievances of students already enrolled in any institution, as well as those seeking admission to such institutions, and a mechanism thereto.

Important provisions

- MANDATORY PUBLICATION OF PROSPECTUS, ITS CONTENTS, AND PRICING:
- STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES (SGRC):
- APPOINTMENT, TENURE, REMOVAL AND CONDITIONS OF SERVICES OF OMBUDSPERSON:
- FUNCTIONS OF OMBUDSPERSON:
- PROCEDURE FOR REDRESSAL OF GRIEVANCES BY OMBUDSPERSONS AND STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES:
- INFORMATION REGARDING OMBUDSPERSONS AND STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES:
- CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE:

(f) "grievance" means, and includes, complaint(s) made by an aggrieved student in respect of the following, namely:

i. admission contrary to merit determined in accordance with the declared admission policy of the institution;
ii. irregularity in the process under the declared admission policy of the institution;
iii. refusal to admit in accordance with the declared admission policy of the institution;
iv. non-publication of a prospectus by the institution, in accordance with the provisions of these regulations;
v. publication by the institution of any information in the prospectus, which is false or misleading, and not based on facts;
vi. withholding of, or refusal to return, any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited by a student for the purpose of seeking admission in such institution, with a view to induce or compel such student to pay any fee or fees in respect of any course or program of study which such student does not intend to pursue;
vii. demand of money in excess of that specified to be charged in the declared admission policy of the institution;
viii. violation, by the institution, of any law for the time being in force in regard to reservation of seats in admission to different category of students;
ix. non-payment or delay in payment of scholarships or financial aid admissible to any student under the declared admission policy of such institution, or under the conditions, if any, prescribed by the Commission;

(f) "grievance" means, and includes, complaint(s) made by an aggrieved student in respect of the following, namely:

x. delay by the institution in the conduct of examinations, or declaration of results, beyond the schedule specified in the academic calendar of the institution, or in such calendar prescribed by the Commission;
xi. failure by the institution to provide student amenities as set out in the prospectus, or is required to be extended by the institution under any provisions of law for the time being in force; xii. non-transparent or unfair practices adopted by the institution for the evaluation of students;
xii. delay in, or denial of, the refund of fees due to a student who withdraws admission within the time mentioned in the prospectus, subject to guidelines, if any, issued by the Commission, from time to time;
xiii. complaints of alleged discrimination of students from the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Women, Minorities or persons with disabilities categories;
xiv. denial of quality education as promised at the time of admission or required to be provided;
xv. harassment or victimization of a student, other than cases of harassment, which are to be proceeded against under the penal provisions of any law for the time being in force;
xvi. any action initiated/taken contrary to the statutes, ordinances, rules, regulations, or guidelines of the institution; and
xvii. any action initiated/taken contrary to the regulations and/or guidelines made/issued by the Commission and/or the regulatory body concerned

10. CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE:

(a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act;

(b) withholding any grant allocated to the Institution;

(c) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programs of the Commission;

(d) declaring the institution ineligible to offer courses through Online/ODL mode for a specified period;

(e) withdrawing / withholding / suspending the approval for offering courses through Online/ODL mode;

(f) informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not possess the minimum standards for redressal of grievances;

(g) recommend to the affiliating University for withdrawal of affiliation, in case of a college;

(h) take such action as it may deem necessary, appropriate and fit, in case of an institution deemed to be University;

(i) recommend to the Central Government, if required, for withdrawal of declaration as institution deemed to be a University, in case of an institution deemed to be University;

(j) recommend to the State Government to take necessary and appropriate action, in case of a University established or incorporated under a State Act;

(k) such other action as may be deemed necessary and appropriate against an institution for non-compliance.

Can each SFU have a structured initiative like VIDYANJALI?

A School Volunteer initiative*-aim - strengthening through CSR and private contributions*

Vidyanjali portal (https://vidyanjali.education. gov.in/en) to connect directly with schools of their choice and share-

- *knowledge and skills*
- *contribute in the form of assets/material/equipment*
  - *Around 4 lac schools onboarded*
  - *Around 1.5 lac volunteers have registered on the portal*
  - *To impact around 12 lac students*

AREAS:

- Subject assistance,
- Mentoring of gifted children,
- Teaching vocational skills,
- Providing ceiling fans,
- Water purifiers,
- Digital devices,
- Musical instruments,
- Self-defence training to schoolgirls,
- Infrastructure,
- Classroom needs, etc.

प्रत्येक वि. वि. अपनी वेबसाइट पर लिंक क्रीएट कर भामाशाहों के लिए जुड़ने का अवसर प्रदान कर सकता है।

इसी लिंक पर सहयोग क्षेत्रों की सूचि भी दी जा सकती है।

नये 'स्वयं' रेगुलेशंस

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NOTIFICATION
New Delhi, the 25th March, 2021

No. F. 1-100/2016(MOOCs/e-content).- In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 26 read with clause (j) of section 12 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and in supersession of the UGC (Credit Framework for Online Learning Courses through SWAYAM) Regulations, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the

University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

4. SWAYAM based online credit courses.-

(1) The schedule of the SWAYAM based online credit courses shall be aligned with the conventional education semester commencing in the month of January and July of every year.

(2) The SWAYAM based online credit courses shall be developed, delivered and assessed only by the course-coordinator.

(3) The course and course-coordinator shall be identified by the National Coordinator in accordance with the SWAYAM guidelines with the prior approval of the SWAYAM Board.

(4) The course-coordinator shall offer the SWAYAM based online credit courses through the Host Institution which shall issue the certificate with grades after the end term proctored examination for credit transfer.

(5) The list of SWAYAM based online credit courses for the ensuing semester shall be notified on the SWAYAM platform before the 1st November for the January semester and before the 1st June for the July semester, every year.

(6) All higher education institutions shall within four weeks from the date of notification of the SWAYAM based online credit courses under sub-regulation (5) shall consider through their competent authority the online learning courses which may be offered through the SWAYAM platform; and keeping in view their academic requirements shall decide upon the courses which they shall permit for credit transfer.

4. SWAYAM based online credit courses.-

(7) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (6), the higher education institution may allow only up to forty per cent. of the total courses, being offered in a particular programme in a semester, through the online credit course, through the SWAYAM platform.

(8) The academic council may expedite the process of transfer of credit earned by the student at their parent institution.

(9) The academic council may allow the Dean (Academics) or Chairman, Board of Studies, to approve the online credit courses of SWAYAM platform for credit transfer on the recommendation of the Head of the Department.

(10) For proper and smooth conduct of the online learning of credit course offered on SWAYAM platform, the parent institution shall ensure that the physical infrastructures viz, computer facilities, library, etc, essential for pursuing such courses are made available for free and in adequate measure.

(11) The parent institution shall designate a faculty member as a facilitator to guide the students from registration till completion of the credit course.

'स्वयं' पाठ्यक्रमों हेतु अभिरूचि आमंत्रण व्यवस्था

एक उदाहरण

मि0सं01-1/2022(संस्कृत स्वयं) 13 मार्च, 2023

विषय : अभिरूचि की अभिव्यक्ति : संस्कृत विषय

आदरणीय महोदया/महोदय,

संस्कृत के विकास और गुणवतापूर्ण स्नातक/परास्नातक संस्कृत शिक्षण-अधिगम सामग्री को विकसित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित क्षेत्र में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से **अभिरूचि की अभिव्यक्ति** आमंत्रित करता है :-

- **क : भारतीय सौंदर्य शास्त्र**
- **ख : भारतीय वैदिक गणित**
- **ग : भारतीय दर्शन-शास्त्र**
- **घ : भारतीय संस्कृत और विज्ञान**

अभिरूचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव **30 अप्रैल, 2023** से पहले **निम्नलिखित लिंक पर** https://swayam.inflibnet.ac.in/ ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

PLACEMENT AND COUNSELLING CELLS

TO KEEP AN EYE ON THE EMPLOYMENT SCENARIO OF THE SECTOR

Example of Tech sector – US (only 2% of all employment)
Wave of tech layoffs in which 40% are Indians
2022-shed >1,50,000 employees- up 649% over 2021 (consulting firm Challenger, Gray & Christmas Inc.)
2023->51,000; Is it downsizing or rightsizing?

Company	Known for	Jobs shed	% of workforce	Headcount increase from 2019 (in lacs)
Alphabet	Google parent of Sundar Pichai	12.000 (Jan 2023)	6%	1.19-1.87
MS	Bill Gates founded tech corporation	10,000 (March, 23)	5%	1.44-2.21
Meta Platforms	Facebook owner Mark Zuckerberg	11,000 (Nov., 2022)	13%	0.45-0.87
Amazon	E-commerce, cloud computing, streaming giant (1st Walmart)	18,000 (Jan 2023)	6%	8.0 to 15.5
Spotify	Music streaming platform	600	6%	
Salesforce	Tech company San Fransisco	Jan 2023	10%	
Twitter	Tesla's Elon Musk	3,700	50%	
Cisco	Networking and collaborating solutions	2023	5%	
HP	Computer maker	6,000 By 2025		

https://pledge.mygov.in/catch-the-rain/

Jal Shakti Abhiyan (JSA): catch the Rain 2023

- MoJS launched Jal Shakti Abhiyan (JSA): Catch the Rain 2023 with the theme 'Source Sustainability for Drinking Water' from 04.03.2023 to 30.11.2023.
- Focus on strengthening the water sources in 150 Water Stressed Districts (WSDs).
- Students understand the necessity of saving water and water conservation.

- Students may be encouraged for water conservation through -
  - quizzes,
  - debate competitions,
  - writing of slogans,
  - poster,
  - banners,
  - wall writing etc.
- HEIs may also take up different experimental learning practices to enable students to inculcate water conservation habits.
- HEIs are requested to disseminate information to faculty and staff to inspire students to take part in activities related to water conservation.

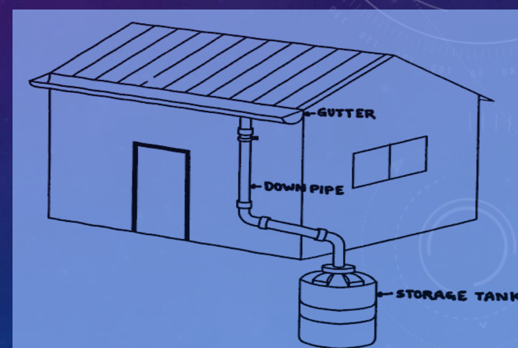

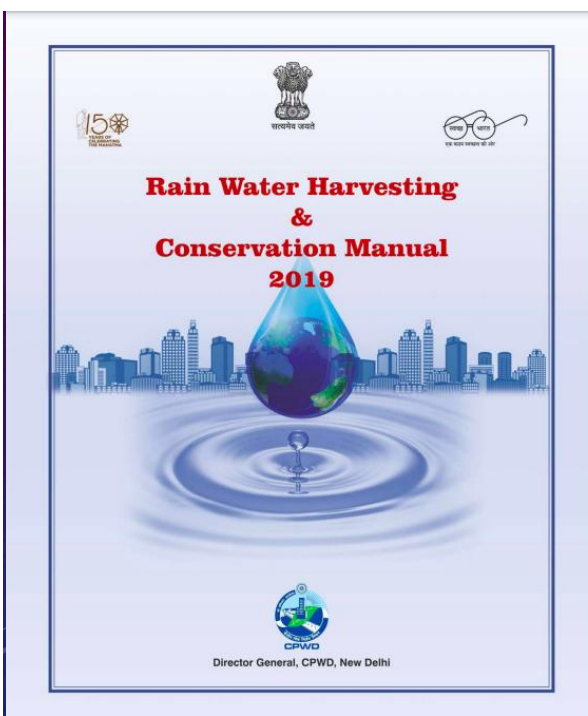

यह मैनुअल भवनों, सड़कों, पार्कों, पार्कों, पार्किंग, खेल के मैदानों आदि में वर्षा जल संचयन के लिए संरचनात्मक डिजाइन प्रदान करता है।

विश्वविद्यालयों को इस मैनुअल के अनुसार अपने तंत्र की योजना बनानी चाहिए।

Adoption of Tourist destinations by Universities

To create engagement of the students with tourism destinations and enhance their knowledge about the country. (25.01.2023)

The aim of the programme is that each university/institution should –

- Identify and adopt a tourism destination, *(www.incredibelindia.org)*
- Encourage students to learn about the destination,
- Organize activities centred around it throughout the year (painting, essay, quiz etc.)
- Contact local India Tourism offices for further information about the destination *(www.tourism.gov.in)* and
- Encourage them to visit as a part of annual study tour (2-3 days).
- Student to post their live experience through social media, prepare a report after visit.

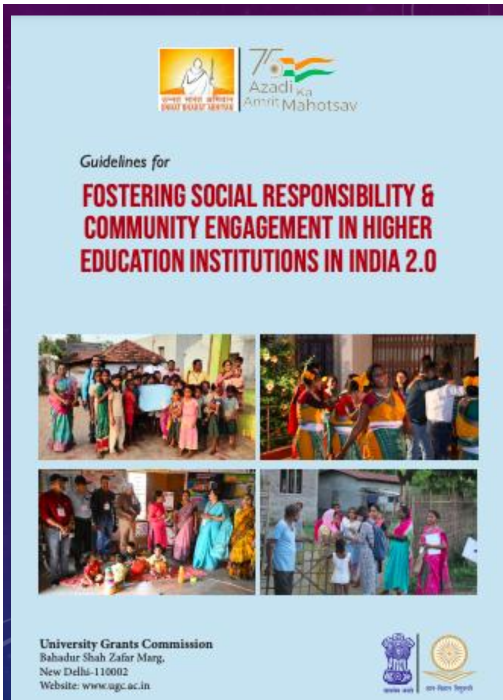

Concept of USR

To instil the concept of Community Engagement and Social Responsibility in HEIs is a major recommendation of NEP 2020.

To facilitate the effective implementation of the two-credit course on Community Engagement and Social Responsibility, HEIs were requested to take appropriate action as per the Guidelines.

The UGC has developed a MOOC course on Community Engagement and Social Responsibility available on the SWAYAM portal (https://swayam.gov.in/).

यूजीसी के निर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई

यूजीसी सेल बनाएं या एनईपी सेल को जिम्मेदारी दें

यूजीसी द्वारा परिचालित मसौदों पर हमेशा टिप्पणियां/सुझाव प्रदान करें, जिसकी एक प्रति एडी और राजभवन को दी जाए।

व्यापक चर्चाओं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, परामर्श आदि के आधार पर एक रोड मैप तैयार करके नए नियमों, रिपोर्टों, दिशानिर्देशों, सलाहों को लागू करने के लिए कदम उठाएं।

सतत विकास लक्ष्य (एस. डी. जी.)

"समानता और सतत समाज सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को साकार करना"

AIU organised five Zonal and one Annual VCs Meets during 2021-22 with the theme *"Realizing Sustainable Development Goals (SDGs) through Higher Education Institutions for Ensuring Equality and Sustainable Society."*

The 17 Sustainable Development Goals (SDGs)

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-being

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequality

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Action

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace and Justice Strong Institutions

17: Partnerships to achieve the Goal

एआईयू ने 'मैसूर घोषणा' जारी की - प्रमुख सिफारिशें:

कुलपति

1. शिक्षा, अनुसंधान और Governance को 17 एसडीजी प्राप्त करने के लिए align करें
2. परिसर पूरी तरह से Sustainable, ऊर्जा और पानी में आत्मनिर्भर होंगे
3. सभी की सुरक्षा के साथ लैंगिक समानता सुनिश्चित करना
4. अनुसंधान और Innovation 'आत्मनिर्भर भारत', Circular Economy और 2035 तक Net Zero अनुपालन की ओर लक्षित
5. "17 एसडीजी को साकार करने में HEIs कैसे योगदान दे सकते हैं" पर कार्य योजना तैयार करना और एस.डी.जी. अनुपालन रिपोर्ट
6. Green Practices और स्मार्ट परिसर प्रौद्योगिकियों को लागू करें
7. शिक्षा को समुदाय को अत्यधिक समृद्ध, शांतिपूर्ण, खुशहाल, स्वस्थ और टिकाऊ समाज में बदलने के लिए एक वाहन बनाएं

1. Incorporation of SDGs in curricula

a. HEIs to Share resources for NEP and SDGs

b. All Us to develop a course on SDGs

c. Dedicated Department on Sustainable Development and Climate Change

d. Research related to SDGs
   - i. Sustainable use of natural resources
   - ii. Affordable technologies for SDGs

e. Campuses-
   - i. Sustainable Carbon Neutral-C-free transport,
   - ii. Renewable energy,
   - iii. EVs,
   - iv. Solar heating and cooling,
   - v. Energy-efficient buildings,
   - vi. Rainwater harvesting,
   - vii. Environment,
   - viii. Minimizing waste,
   - ix. Recycling of wastewater,
   - x. Waste to energy

f. Urban development courses
   - i. Formulate policies for adjoining cities and townships
   - ii. Learn from global examples

g. Green production, green energy, green electronics, green environment

h. Management of waste through prevention, reduction, recycling and reuse

i. Smart Campus Cloud Network to fulfil SDGs

2. Implementation of NEP 2020

a. CIEs to support SFUs to implement NEP
b. NEP integration with SDGs
c. Implement Multidisciplinary approach
d. Capacity building of faculties
e. Innovation through collaboration
   i. Industry driven innovation
   ii. Industry linked academics
   iii. CSR in curriculum
   iv. Foster Entrepreneurship
f. Promote dual degree offers
g. Promoting Liberal Arts, (a synonym for *humanities* because literature, languages, history, and philosophy are primary subjects)
h. Focus on Circular Economy
i. One Nation One Data One Agency (SUMS)
j. Experiential learning
   i. Virtual Education
   ii. Idea Labs
   iii. Create Infrastructure for simulation lab, skill lab etc.
   iv. 24x7 labs
k. Funding
   i. CSR funding
   ii. More extramural funding
   iii. Industry connect and funding
   iv. Alumni support-financial
l. Employment and Placement of students,
   i. Industry linkages,
   ii. Scholarships,
   iii. Energy initiatives
m. Policy for admission of rural students with < %
   i. Equal opportunities
   ii. Education to all
   iii. Rural students should not suffer from meritocracy
   iv. Supportive Atmosphere to reduce inequality
n. Leveraging technology-AI and online courses and Enhancing the digital skills of students
o. Outcome-based Education to Enhance Competitiveness

3. SAUs to focus on

a. SDGs for food production Sustainable and natural practices in Agriculture
b. Crop diversification,
c. Updating curriculum and
d. Implementation of NEP with multiple entry and exit possibilities
e. Ag education 20% online
f. ICAR accreditation is not mandatory
g. Pvt. Universities to release improved varieties-icar to authorize
h. Conventional university students to be allowed for research on ICAR institutes - MoU signed between ICAR n AIU
i. SAUs to become MDUs,
j. Resilience in Agri. Edu. System (RAES) via digi-infra, digi-contents, digi-capacity building etc.

4. Women in leadership positions of HEIs

a. Positive discrimination while appointing women in HEIs
b. Supportive working environment with work from home
c. All Universities to conduct Gender Audit

SUMS

Was also discussed on 01.07.2021 and 24.06.2022

EARLY INITIATIVE OF HON'BLE GOVERNOR & CHANCELLOR SIR

- In the first VCCC meeting of 04.11.19 it self, directed all the Universities to become **SMART UNIVERSITIES.**
- Pleased to constitute a Committee on 27th December 2019 to deliberate and offer suggestions regarding

"THE STATE-LEVEL UNIFORM IMPLEMENTATION OF THE E-GOVERNANCE, DATA MANAGEMENT AND AUTOMATION UNDER 'SMART UNIVERSITY CONCEPT' IN THE STATE UNIVERSITIES OF Rajasthan"

- Pleased to allow a presentation in reference to Smart Universities in the *'Kulpatiyon se Samwad'* held on 7th Feb., 2020.
- All the VCs of SFUs present appreciated recommendations of the Committee and expressed to implement it through their own resources.
- The Smart University Concept through implementation of SUMS was hailed and agreed in all subsequent Kulpati Samwads as well as in the meetings of Task Force, particularly in light of implementation of NEP.

KEY ADVANTAGES OF SUMS

1) Streamlined Management Information System (MIS),
2) Real-time reporting through dashboards for Chancellor's Secretariat and ADs,
3) Common unified system platforms across different functions and processes of all SFUs,
4) Paperless working environment
5) Provides a decision support mechanism,
6) Student and Teacher Data Verification at the state level,
7) Online degree and certificates verifications saving cost on security printing,
8) Result & migration verification across the state universities,
9) Event management and state-wide combined event calendar for all,
10) Real-time / Any-time analysis of budget versus actual fund utilization data,
11) Seamless integration of student information system across the state
12) Integration between admission system, affiliated colleges, finance & accounts, and examination & result,
13) Data integrity and information tracking,
14) Transparency,
15) Zero redundancy of data and efforts,
16) Open standards to integrate with other government portals & services.
17) Rajasthan becomes the First State of the Country to have such a system in all its SFUs.
18) Meeting requirements of NEP 2020 [Ref. NEP Point 9.3.; 10.10.; 19.5.; 24.4. (i)].

CONSTRAINTS WITH THE PRESENT-DAY STATUS

- Vendor-driven discrete applications in diverse functions with disparate architectures.
- Not a single integrated communicable business process
- No Data ownership in core areas like admission, examination, and results.
- No single platform for all systems across all universities
- Difficult for exchange of data, monitoring of key factors and analytics-based decision-making.
- Lot of manual interventions causing errors and unethical behavior.
  - This also increases the maintenance and support cost.
- Face challenges in examination process including administrative, infrastructure, resource allocation, security, etc.

i. ISSUES HAMPERING THE EFFICIENCY

- Mushrooming of Affiliated Colleges with inadequate infrastructure and human resources;
- Multiple visits by students to University / College for information or processing of application forms, examination dates, results, and syllabus, etc.;
- Delay in Assessment;
- Cancellation / Delay of Exams;
- Printing errors etc.

SUMS PROCUREMENT

All VCs agreed to the following:

a. Implement SUMS after open tender by MLSU, as Lead University in light of FD's opinion.

b. To be implemented -

  i. In one go or

  ii. In a phased manner over a period of 3 years, as per availability of ways and means.

c. The MLSU, Udaipur vide letter No. PSVC/MLSU/2022/1734 dated 10.03.2022 informed about the approval of the rates after an open tender. Consequently, Chancellor's Secretariat, vide letter No. F. 1 (4) (22) RB/2018 Part 1/ 1368 dated 11.03.2022 communicated to all VCs of SFUs for implementation of SUMS accordingly.

SFUs are now required to undergo an agreement with the approved agency.

दिनांक 27.12.2021 की कुलपति स. समिति मे निर्देश दिये गये थे कि समस्त रा. वि. पोषित वि. वि. द्वारा जनवरी, 2022 तक एसयूएमएस को लागू किया जाये।

इस संबंध में निर्देशानुसार इस सचिवालय के पत्रांक 3159 दिनांक 20.06.2022 के द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों में समान एकरूपता लाये जाने व ई–गवर्नेस सिस्टम हेतु तुरन्त प्रभाव से SUMS का क्रियान्वयन किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये तथा समय–समय पर अद्यतन स्थिति से अवगत करवाये जाने हेतु लेख किया गया है।

Therefore, this Letter dated 13.04.2023 from Pr. Secy. to Hon'ble Governor and Chancellor Sir

IT infrastructure, applications and Website Security Audit

To mitigate the threat of cyber attacks, we need to perform IT infrastructure security audits as part of website maintenance and build an online security infrastructure.

Security audits include dynamic code analysis as well as penetration and configuration tests.

- **Malware** or malicious software is a program or code that damages the infected computer, network, or server. Many types of malware, include ransomware, trojans, viruses, bots, and spyware.
- **Ransomware** is malware that demands payment from users trying to access their system. Paying does not guarantee that access will be restored.
- **DoS and DDoS attacks** aim to overload a network or server by sending multiple fake requests. DoS attacks usually come from one system while DDoS are initiated by multiple threat actors. In a **distributed denial-of-service attack** (**DDoS attack**), the incoming traffic flooding the victim originates from many different sources. More sophisticated strategies are required to mitigate this type of attack, as simply attempting to block a single source is insufficient because there are multiple sources. It's analogous to a group of people crowding the entry door of a shop, making it hard for legitimate customers to enter, thus disrupting trade.
- **Cross-Site Scripting (XSS)** occurs when a third party inserts malicious code into a website. Hackers may try to steal sensitive information or damage the site when the infected script runs.
- **SQL injection.** Structured query language (**SQL**) is a programming language for storing and processing information in a relational **database**. This happens when a hacker injects a malicious SQL statement into an application's queries that connect to the database, enabling hackers to access, modify or delete the system data.

What Is a Website Security Audit?

A process of examining to identify loopholes and potential vulnerabilities of –

- files,
- website core,
- plugins, and
- server.

IT SECURITY AUDIT - OBJECTIVES

- To assess internal policies, controls, and activities.
- To assess the effectiveness of IT controls.
- To provide reasonable assurance of compliance with applicable regulations.
- To address the risk exposures.

Shouldn't be confused with Penetration Testing which is a very narrowly focused attempt to look for security holes in a critical resource, such as a firewall or webserver.

RISK ANALYSIS

'ASSETS' LIST - EXAMPLES

- Computers and laptops
- Routers and networking equipment
- Printers
- Cameras with IPR photographs
- Data
- Smartphones
- VoIP phones, IP PBXs (digital version of phone exchange boxes), related servers
- Emails
- Logs of daily schedule and activities
- Web pages, especially those that ask for customer details and those that are backed by web scripts that query a database
- Web servers
- Security cameras
- Employee access cards
- Access points (i.e., scanners controlling room entry/access)

'THREATS' LIST - EXAMPLES

- **Computer and network passwords.** Is there a log of all people with passwords (and what type). How secure is this ACL list, and how strong are the passwords currently in use?
- **Physical assets.** Can computers or laptops be picked up and removed from the premises by visitors or even employees?
- **Data backups.** What backups of virtual assets exist, how are they backed up, where are the backups kept, and who conducts the backups?
- **Logging of data access.** Each time someone accesses some data, is this logged, along with who, what, when, where, etc.?
- **Access to sensitive data.** Who has access? How can access be controlled? Can this information be accessed from outside the company premises?
- **Access to client lists.** Does the website allow backdoor access into the client database? Can it be hacked?
- **Long-distance calling.** Are long-distance calls restricted, or is it a free-for-all? Should it be restricted?
- **Emails.** Are spam filters in place? Do employees need to be educated on how to spot potential spam and phishing emails? Is there a company policy that outgoing emails to clients not have certain types of hyperlinks in them?

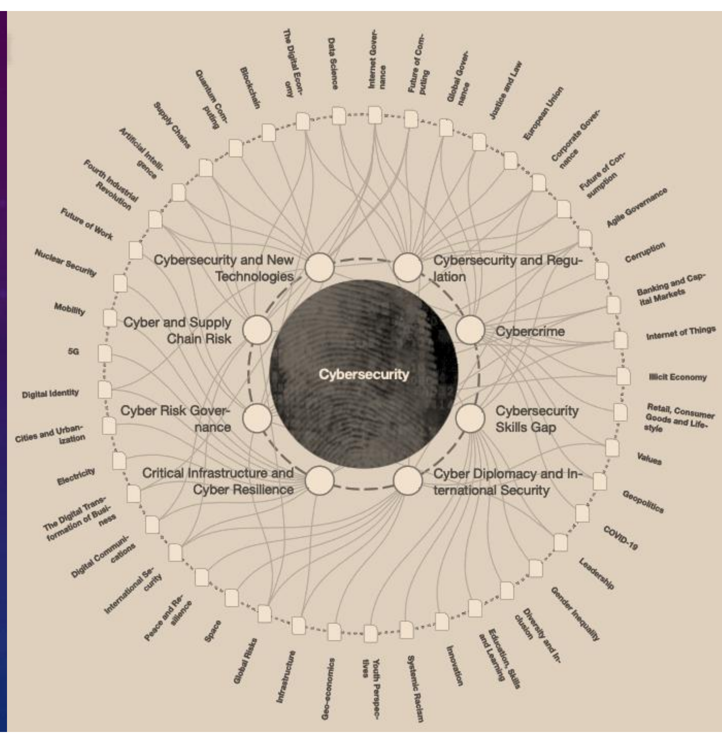

चूंकि हमने विशाल आईटी बुनियादी ढांचे का उपयोग करना शुरू कर दिया है, इसलिए समय-समय पर साइबर सुरक्षा ऑडिट करने की तत्काल आवश्यकता है।

Thanks a lot

to

Hon’ble Sir,

Members and Guests

in this house.